संख्या-769/2024/आई/837857/23-1-24/015-23-1002(002)/105/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 31 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से सहारनपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 12 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11346/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2024-25, दिनांक 12.12.2024, पत्र संख्या-11463/CE-HQ1/RSN 5054/SAH/2024-25, दिनांक 23.12.2024, पत्र संख्या-11511/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2024-25, दिनांक 26.12.2024 व पत्र संख्या-11538/CE-HQ1/RSN5054/SAH/2024-25, दिनांक 27.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **सहारनपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 12 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 17,71,30,000/- (रूपये सत्रह करोड़ इकहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख. सहारनपुर	देवबन्द से बास्तम, रास्तम, भवनपुर, बचीटी, शिवपुर होते हुए उत्तराखण्ड की सीमा तक (अ0जि0मा0) मार्ग के कि0मी0 01 से 10(800) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/ 503772/23-1- 24/001-23- 1002 (002)/39 /2024- दिनांक- 23-02-2024	2432.75 2432.75 1666.36 3.46 2429.29	1510.11	919.18	114.23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
2	नि.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में देवबन्द माँ बाला सुन्दरी मन्दिर से नगलीनूर कुरलकी महतौली होते हुए मुजफ्फरपुर की सीमा तक (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/ 513525/23-1- 24/001-23- 1002(002)/53/ 2024 -दिनांक- 06-03-2024	1682.54 1682.54 1010.57 172.30 1510.24	552.70	957.54	201.78
3	नि.ख. सहारनपुर	बास्तम से दिवालहेड़ी मिरगपुर दुधली होते हुये रजपुरा तक अ0जि0मा0 के किमी0 चैनेज 5.845 से 14.500 तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	61 /2024/ 503772/23-1- 24/001-23- 1002 (002)/39 /2024- दिनांक- 23-02-2024	2130.62 2130.62 1306.02 3.30 2127.32	629.12	1498.20	344.00
4	नि.ख. सहारनपुर	रामपुर बड़गांव से अलाउद्दीन चकवाली मिर्जापुर होते हुए सहारनपुर बड़गांव तक मार्ग(अन्य जिला मार्ग) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	84 /2024/आई/ 513525/23-1- 24/001-23- 1002(002)/53 /2024 -दिनांक-06-03-2024	1433.28 1433.28 836.80 60.80 1372.48	488.87	883.61	283.12
5	नि.ख. सहारनपुर	जड़ौदा पाण्डा से अम्बेहटा मोहन होते हुए मुजफ्फरगनर सीमा तक मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	96/2024/आई/ 517876/23-1- 24/004-23- 1002(002)/ 2015/2023- दिनांक-13-03-2024	156.93 156.93 110.32 6.48 150.45	53.19	97.26	52.13
6	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बिजनौर मेरठ प्रमुख जिला मार्ग 101 डब्लू0 की चैनेज 10.490 से 18.540 तक मार्ग के चैड़ीकरण के कार्य।	323 /2024/ 137-आरएसएन/ 23-1-2024 /001-05(बी)/ आरएसएन-एसएएच/2024 -पार्ट-2- दिनांक- 21-08-2024	447.94 447.94 261.45 80.50 367.44	87.45	279.99	156.97
7	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	राष्ट्रीय राजमार्ग पानीपत खटीमा 706 ए डी से सलारपुर होते हुए जानसठ शुक्रताल मोरना मार्ग तक सम्पर्क मार्ग	320 /2024/ 150-आरएसएन/ 23-1-2024 /001-05(बी)/ आरएसएन - एसएएच/2024 - दिनांक-21-08- 2024	204.53 204.53 112.63 42.08 162.45	38.11	124.34	66.22
8	नि.ख. सहारनपुर	मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग (दून हिल्स एकेडमी) से नगलीनूर मार्ग	96/2024/आई/ 517876/23-1- 24/004-23- 1002(002)/20 15/2023- दिनांक-13-03-2024	88.45 88.45 52.88 13.35 75.10	32.97	42.13	36.00
9	नि.ख. सहारनपुर	डंघेड़ा से बालाचोर तक मार्ग।	96/2024/आई/ 517876/23-1- 24/004-23- 1002(002)/201 5/2023- दिनांक-13-03-2024	124.17 124.17 89.06 5.68 118.49	55.10	63.39	54.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
10	नि.ख. सहारनपुर	रणखण्डी से डेहरा मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	96/2024/आई/ 517876/23-1- 24/004-23- 1002(002)/2015/2023- दिनांक-13-03-2024	107.11 107.11 78.03 4.29 102.82	48.00	54.82	47.00
11	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	जनपद मुजफ्फरनगर में बेहड़ा सादात से मेरठ पौड़ी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य।	383/140- आरएसएन/ 23-1-2024/003-05(एस)/आरएसएन-सी0ओ0 एम0/2024- दिनांक-03-09- 2024	2777.54 2777.54 1496.82 686.07 2091.47	542.57	1548.90	368.58
12	प्रा.ख. मुजफ्फर नगर	तेवड़ा से खेड़ी फिरोजाबाद मार्ग।	320 /2024/ 150-आरएसएन/ 23-1-2024/ 001-05(बी)/ आरएसएन -एसएएच/2024 -दिनांक-21-08- 2024	84.46 84.46 47.70 16.22 68.24	15.75	52.49	46.77
						कुल योग-	**1771.30**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 17,71,30,000/- (रूपये सत्रह करोड़ इकहत्तर लाख तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-769/2024/आई/837857(1)/23-1-24/015-23-1002(002)/105/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in